

13-12-2014 वादी की ओर से मुख्यतार सहित श्री पी.एन.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-1 सहित श्री चैतगुरु अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक-2 एकपक्षीय।

प्रकरण राष्ट्रीय एवं मेगा लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, जिसके आधार पर विवादित भूमि के खसरा 16/2ख, 17/4, 20/2, 20/3, 20/4, 20/2क, 24/3, रकबा 4.02/1.627 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 1.50/0.607 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 प्राप्त करेगी और अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराकर, पृथक से पट्टा प्राप्त करेगी, शेष विवादित भूमि पर वादिनी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहेगा, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई दखल नहीं रहेगा। साथ ही तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक-34अ/6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-24.09.2013 व राजस्व अपील क्रमांक-72अ/06/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-16.04.2014 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। अतएव राजीनामा स्वीकार कर डिक्री पारित किया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण एवं आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

राजीनामा आवेदन के समर्थन में सभी पक्षकारगण ने अपने राजीनामा कथन पेश किये हैं तथा राजीनामा आवेदन में उल्लेखित भूमि के अंश के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने और स्वैच्छया से राजीनामा स्वीकार किये जाने के कथन किये हैं।

उभयपक्ष ने लोक अदालत के समक्ष सहमति पत्र व डाकेट फार्म भी भरकर प्रस्तुत किया है।

मूल वादपत्र में विवादित भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्ति को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना प्रकट होता है। आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत पेश है, किन्तु आवेदन में चाहा गया अनुतोष आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत राजीनामा व समझौता के अनुसार प्रकरण समाप्त करने की प्रकृति का है। ऐसी दशा में उक्त तकनीकी त्रुटि के कारण उभयपक्ष को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कारण आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत राजीनामा आवेदन के अनुसार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभयपक्ष ने स्वैच्छया से राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। प्रस्तुत राजीनामा व समझौता वाद की विषय वस्तु के अनुरूप प्रस्तुत है जिसे स्वीकार किये जाने पर कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। उभयपक्ष की पहचान श्री पी.एन.शुक्ला एवं विशेष चैतगुरु अधिवक्ता ने की है। अतएव आवेदन पत्र सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र के अनुसार निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है कि—

1. मौजा छपला प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा 16/2ख, 17/4, 20/2, 20/3, 20/4, 20/2क, 24/3, रकबा 4.02/1.627 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 1.50/0.607 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 प्राप्त करेगी और अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराकर, पृथक से पट्टा प्राप्त करेगी, शेष विवादित भूमि पर वादिनी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहेगा, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई दखल नहीं रहेगा।

2. तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक-34अ/6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-24.09.2013 व राजस्व अपील क्रमांक-72अ/06/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-16.04.2014 को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है।

तदनुसार वाद में समझौता आज्ञाप्ति तैयार की जावे तथा उक्त राजीनामा आवेदन पत्र आज्ञाप्ति के साथ संलग्न किया जावे, जो आज्ञाप्ति का भाग माना जावेगा।

प्रकरण में वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क वापसी हेतु नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार पंजी 'अ' में दर्ज किया जावे तथा प्रकरण समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिनिधि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)